फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 49 प्रभात जयपुर, शनिवार 19 सितम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

HOW IRAN WAS ABLE TO SHAPE THE... Iran did not need to defeat the US but create conditions that made the surrounding political-economic system unable to absorb unsustainable pain

The Dark Economics Behind a Nursery Rhyme

Bizarre Inventions From the Past In Use

प्र.मंत्री ने 23-24 सितंबर को कैबिनेट की ''चिंतन'' मीटिंग आहूत की

चिंतन बैठक को लेकर राजनैतिक गलियारों में अटकलों का बाज़ार गर्मा गया है, क्योंकि सभी मंत्रियों को राजधानी नई दिल्ली में रहने के आदेश दिए गए हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 23-24 सितंबर, 2026 को अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ दो दिवसीय ''चिंतन बैठक'' आयोजित कर रहे हैं। बैठक के समय को देखते हुए इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आयोजित इस बैठक में, महत्वपूर्ण राज्यों में भाजपा के कामकाज के नैरेटिव को मजबूत करने के लिए योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने, जनसंपर्क और आपसी तालमेल बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा होने की संभावना है।

सभी कैबिनेट मंत्रियों को राजधानी में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। मंत्री लगभग आठ-आठ के समूहों में बांटे जाएंगे और आत्म-सुधार, संचार एवं संवाद तथा शासन जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद समूह अपनी प्रस्तुतियां देंगे। एजेंडे में सरकारी योजनाओं की प्रगति, नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन, सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता, जीवन को आसान बनाने, मंत्रालयों के बीच तालमेल, समय के सही इस्तेमाल और भविष्य की कार्ययोजना जैसे विषय शामिल हैं। अधिकारी पहले ही दो साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट, सोशल मीडिया पर लोगों की भागीदारी और 2021 के चिंतन शिविर के बाद की गई कार्रवाई की समीक्षा कर चुके हैं, जिसमें लाइव डैशबोर्ड और उपयोग में आसान मंत्रालयों की वेबसाइटों जैसे पहलू भी शामिल हैं।

- **अटकलें हैं कि इस बैठक का संबंध मंत्रिमंडल फेरबदल से हो सकता है और इसमें कामकाज की समीक्षा के साथ नए चेहरों को शामिल करने पर चर्चा हो सकती है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में 15 से 17 नए लोग शामिल हो सकते हैं।**
- **अधिकृत तौर पर कहा जा रहा है कि इस चिंतन बैठक में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर की चुनाव रणनीति पर चर्चा होगी।**

अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बैठक का संबंध कैबिनेट के विस्तार या फेरबदल से हो सकता है, जिसमें कामकाज की समीक्षा और नए चेहरों को शामिल करने पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले की चर्चाओं के अनुसार, शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पर पिछले कुछ विवादों के कारण खतरा हो सकता है। इसके अलावा, हरदीप सिंह पुरी से जुड़े संभावित बदलाव अथवा अश्विनी वैष्णव जैसे एक से अधिक मंत्रालयों का प्रभार संभाल रहे मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की भी अटकलें हैं। रिपोर्टों में संभावित नए चेहरों में राघव चड्ढा के साथ-साथ, क्षेत्रीय और युवा संतुलन को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। अनुमान है कि 15-17 नए चेहरों को मन्त्रिमण्डल में शामिल किया जा सकता है।

इस तरह की कवायद पहले भी की जा चुकी हैं। 2021 में किये गये बड़े कैबिनेट फेरबदल के कुछ ही समय

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हाई कोर्ट रामबाग गॉल्फ क्लब प्रकरण जल्दी तय करे'

जयपुर, 18 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने गोल्फ क्लब के पास बन रही बिल्डिंग के निर्माण मामले में हाईकोर्ट की ओर से यथा-स्थिति हटाने के आदेश में दखल से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने हाईकोर्ट को कहा है कि वह प्रकरण को जल्दी तय करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश योगेश यादव

- **सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति हटाने के आदेश में दखल देने से इंकार किया।**

की एसएलपी को निस्तारित करते हुए दिया। एसएलपी में हाईकोर्ट के 13 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने गोल्फ क्लब के पास बन रही बिल्डिंग के निर्माण पर लगी यथास्थिति को हटाते हुए मामले की सुनवाई को ड्यू कोर्स में भेज दिया था।

एसएलपी में योगेश यादव की ओर से कहा गया था कि मामले की सुनवाई को ड्यू कोर्स में भेजना गलत है, इसलिए मामले की सुनवाई जल्द करवाई जाए। गौरतलब है कि प्रार्थी ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा था कि पूर्व के निर्णयों को दरकिनार कर गोल्फ क्लब के पास निर्माण की अनुमति दी गई है, जो गलत है। इसलिए निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए। खंडपीठ ने पूर्व में सुनवाई करते हुए 19 दिसंबर 2025 के अंतरिम आदेश से रामबाग गोल्फ क्लब के पास की बिल्डिंग के निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। वहीं गत 13 जुलाई को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एआई के बेरोकटोक डवलपमैंट पर किंग चार्ल्स ने भी चिंता जताई

किंग चार्ल्स ने स्कॉटलैंड में एनवीडिया, गूगल डीपमाइंड, ओपन एआई और एंथ्रोपिक के वरिष्ठ अफसरों के सम्मेलन में यह चेतावनी दी

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। किंग चार्ल्स तृतीय उस ग्लोबल बहस में शामिल हो गए है, जिसमें यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या आर्टिफिशल इंटैलिजैंस (एआई) समाज की उसे कंट्रोल करने की क्षमता से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुरुवार को स्कॉटलैंड में एनवीडिया, गूगल डीपमाइंड, ओपनएआई और एंथ्रोपिक के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए किंग चार्ल्स ने चेतावनी दी कि अगर एआई गलत हाथों में पड़ जाता है और उसका इस्तेमाल खतरनाक तरीकों से होता है, तो इससे अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

उनके हस्तक्षेप का महत्व ब्रिटेन के राजा की संवैधानिक भूमिका से कम और इस बात से अधिक है कि यह ऐसे समय में सामने आया है, जब टैक्नॉलजी इंडस्ट्री के अंदर से ही बेरोक-टोक एआई डवलपमैंट को लेकर चिंता बढ़ रही है। चार्ल्स ने कहा कि जिन लोगों ने ये सिस्टम बनाए हैं, उनमें से कुछ अब खुद चेतावनी दे रहे हैं कि एआई ऐसी क्षमताएं हासिल कर सकता है, जो गलत जानकारी, नौकरी जाने या एल्गॉरिद्म के पक्षपाती होने जैसी आज की जानी-पहचानी समस्याओं से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। उन्होंने खास तौर पर एआई के ''खतरनाक क्षमताएं'' विकसित करने की संभावनाओं का जिक्र किया, जो इन्सानी जिन्दगी के लिये खतरनाक बन सकती हैं।

- **किंग चार्ल्स ने कहा कि जिन लोगों ने ये सिस्टम बनाए हैं, वे खुद चेतावनी दे रहे हैं कि एआई खतरनाक क्षमताएं विकसित कर सकता है, जो इंसान के लिए खतरनाक बन सकती हैं।**
- **उन्होंने कहा, एआई को रोका नहीं जा सकता, पर, इसके विकास की गति व दिशा के साथ-साथ सुरक्षा उपाय, जवाबदेही और मानवीय उद्देश्य भी होना चाहिए।**
- **गौरतलब है कि दुनिया भर की कई नामचीन हस्तियाँ एआई के निरंकुश डवलपमैंट पर गंभीर चिंता जता चुकी हैं।**

उनका मुख्य तर्क यह नहीं था कि एआई को रोक दिया जाना चाहिए। बल्कि उनका कहना था कि इसके विकास की गति और दिशा के साथ सुरक्षा उपायों, जवाबदेही और स्पष्ट मानवीय उद्देश्य का होना भी जरूरी है। उनके शब्दों में, तकनीकी उद्योग का काम ''सिर्फ तकनीक को आगे बढाना'' नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि तकनीक ''मानवता, समुदाय और प्राकृतिक दुनिया'' की सेवा में लगी रहे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा ने जयपुर के 78 पार्षदों को पुष्कर रिसॉर्ट में भेजा

मेयर के लिए सुनील कोठारी का नाम सबसे आगे, डिप्टी मेयर के लिए प्रतिभा शर्मा चर्चा में

जयपुर, 18 सितम्बर। जयपुर नगर निगम चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के बाद अब भाजपा की पूरी नजर बोर्ड के मुखिया के चयन पर टिक गई है। भाजपा, जो 78 पार्षदों के साथ बोर्ड बनाने की स्थिति में पहुंची है, में मेयर और डिप्टी मेयर के चेहरे को लेकर शुक्रवार देर रात तक मंथन चलता रहा। संगठन ने सभी विजयी पार्षदों से उनकी पसंद जानने के लिए तीन-तीन नाम मांगे हैं। पार्षदों की राय जुटाने के बाद अब संगठन स्तर पर फीडबैक के अंतिम दौर की प्रक्रिया चल रही है। सूत्रों के मुताबिक, मेयर पद के लिए सुनील कोठारी का नाम सबसे आगे चल रहा है, जबकि डिप्टी मेयर पद के लिए प्रतिभा शर्मा के नाम पर गंभीरता से विचार होने की चर्चा है। हालांकि दोनों नामों पर भाजपा की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

- **चर्चा है कि भाजपा पुष्कर से अपने पार्षदों को चुनाव के दिन बसों से सीधे नगर निगम पहुँचाकर मतदान कराएगी।**
- **शनिवार को मेयर पद के नामांकन की अंतिम तारीख है। इसलिए शनिवार तक नाम फाइनल होने की उम्मीद जताई जा रही है।**

मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव से पहले, भाजपा ने अपने पार्षदों को एकजुट रखने की कवायद तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार देर शाम भाजपा के विजयी पार्षदों को जयपुर से पुष्कर के एक निजी रिसॉर्ट में शिफ्ट किया गया। माना जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक पार्षदों को एक साथ रखा जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, चुनाव के दिन सभी पार्षदों को बसों के जरिए जयपुर लाने और सीधे नगर निगम पहुंचाकर मतदान कराने की तैयारी है।

मेयर पद के लिए सुनील कोठारी का नाम पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। संगठन के भीतर चल रहे मंथन में उनका नाम प्रमुखता से सामने आने की बात कही जा रही है। भाजपा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत में जन्मी मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया

भोपाल, 18 सितम्बर। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से प्रोजेक्ट चीता के चार साल पूरे होने के एक दिन बाद शुक्रवार को खुशखबरी आई है। भारत में जन्मी मादा चीता केजीपी-12 ने चार शावकों को जन्म

- **अब कूनो में चीतों की संख्या 54 हो गई, जिनमें से 32 का जन्म भारत में हुआ है।**

दिया है, जिसके बाद कूनो में चीतों की संख्या बढ़ कर 54 हो गई है और इनमें 37 चीते भारत में जन्मे हैं।

कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी मादा चीता केजीपी-12 ने शुक्रवार को चार शावकों को जन्म दिया है। केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने इसे प्रोजेक्ट चीता के लिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डॉक्टर की पर्ची की दवा अब सीसीटीवी की निगरानी में मिलेगी

केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवा बिक्री के नए नियमों की ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 सितंबर। फार्मेसियों और अन्य लाइसेंस प्राप्त दुकानों पर बेची जाने वाली डॉक्टर की पर्ची वाली दवाओं की बिक्री पर जल्द ही सीसीटीवी से निगरानी रखी जा सकती है। केंद्र सरकार ने एक नई व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत डॉक्टर की पर्ची के आधार पर दवाओं की बिक्री की जांच और पुष्टि की जा सकेगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की 8 सितंबर 2026 को जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार, किसी पंजीकृत चिकित्सक की पर्ची पर दी जाने वाली किसी भी दवा की बिक्री, लाइसेंस प्राप्त परिसर में लगाए गए और संचालित सीसीटीवी निगरानी तंत्र के तहत करनी होगी, इसमें सिर्फ थोक कारोबार को छूट दी गई है।

- **सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं की अनाधिकृत बिक्री रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। नए नियमों के तहत दवा बिक्री की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को तीन माह तक अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखना होगा।**
- **ड्राफ्ट अधिसूचना के तहत ड्रग्स रूल्स, 1945 के रूल 65 में संशोधन करते हुए एक नया उपनियम जोड़ा गया है। हालांकि, थोक विक्रेताओं को इससे अलग रखा गया है।**
- **सरकार का लक्ष्य है कि वयस्कों के लिए जो दवाएं प्रिस्क्राइब की जाती हैं, वो बच्चों को बिना उचित मैडिकल सुपरविज़न के न दी जाएं।**

प्रस्तावित नियमों के तहत सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखना भी जरूरी होगा।

सरकारी सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य डॉक्टर की पर्ची वाली दवाओं की अनाधिकृत बिक्री पर रोक लगाना, निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना और दवाएं देने की प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ाना है। यह कदम ऐसी चिंताओं के बीच आया है कि वयस्कों के लिए बनाई गई कुछ दवाएं, जिनमें खांसी की कुछ दवाएं भी शामिल हैं, कभी-कभी उचित चिकित्सकीय निगरानी के बिना बच्चों को दे दी जाती हैं।

हालांकि, यह प्रस्ताव अभी अंतिम नियम नहीं बना है। सरकार ने अंतिम रूप से संशोधन को अधिसूचित करने से पहले लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।

सरकारी राजपत्र में कहा गया है कि इस मसौदे में ड्रग्स नियम, 1945 के नियम 65 में एक नया उप-नियम जोड़कर संशोधन करने का प्रस्ताव है।

इसमें कहा गया है कि पंजीकृत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नेपाल ने जनकपुर के जानकी मंदिर को संरक्षित स्मारक घोषित किया

काठमांडू, 18 सितंबर। नेपाल सरकार ने जनकपुरधाम के प्रसिद्ध जानकी मंदिर को संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित किया है। नेपाल सरकार का लक्ष्य जानकी मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराना है।

- **अब मंदिर के आस-पास भवन निर्माण सहित अन्य गतिविधियों पर निर्धारित मापदंड लागू होंगे।**

इसके लिए संबंधित सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र को संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित करना आवश्यक प्रक्रिया का हिस्सा है।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राजपत्र में सूचना प्रकाशित कर इस निर्णय की जानकारी दी है। मंत्रालय के अनुसार, मंत्रिपरिषद की बैठक ने प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जोधपुर हाईकोर्ट की जर्जर हो रही नई बिल्डिंग के ठेकेदार की रिहाई के आदेश दिये सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार किया और पक्षकारों को नोटिस जारी किये

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 18 सितम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दिये गये आदेश, कि जोधपुर स्थित उच्च न्यायालय की नवनिर्मित इमारत की जर्जर हो रही स्थिति की जाँच की जाए और इसके आरोपियों के खिलाफ त्वरित आपराधिक कार्रवाई की जाए, के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान सामने आया है कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार, न्यायालय की नई बिल्डिंग के निर्माण से जुड़ी जिम्मेदार फर्म के निदेशक विरेन्द्र कुमार गर्ग को हिरासत में ले लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तुरंत रिहाई के आदेश दिये और मामले में याचिका को तथ्यात्मक रूप से सुनने के आदेश दिये हैं और सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किये हैं। न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश शील नागू की खण्डपीठ ने यह आदेश दिये।

- **राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले पर 24 अगस्त को ही आदेश पारित किये थे कि प्रदेश में कोई भी अदालत इस मामले की जांच अवरूद्ध कर किसी व्यक्ति विशेष या अफसर को आपराधिक दायित्व से सुरक्षित नहीं कर सकती है। अदालत ने आदेश दिये थे कि केवल हाईकोर्ट की खण्डपीठ या सुप्रीम कोर्ट ही मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं।**
- **हाईकोर्ट के आदेश अनुसार ही नई बिल्डिंग के मुख्य ठेकेदार विरेन्द्र कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के खिलाफ जांच चल रही थी और इस फर्म के मुख्य निदेशक विरेन्द्र कुमार गर्ग को हिरासत में भी लिया गया था।**

उल्लेखनीय है कि गत 24 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने जोधपुर स्थित न्यायलय की प्रधान पीठ के लिए निर्मित नई बिल्डिंग की जर्जर हो रही हालत को देखते हुए मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था और कहा था कि यह मामला हजारों लोगों की जान की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हजारों लोग कोर्ट आते हैं और कोर्ट की मुख्य बिल्डिंग पर बना हुआ गुम्बद किसी भी समय गिर सकता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी जोधपुर के विशेषज्ञों का कहना है कि 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, गुम्बद का भार ढो रहीं स्टील के सरियो में जंग लगी है, कंकरीट के ढांचे में दरारें हैं और प्लास्टर और स्लेब भी गिर चुके हैं। आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट के अनुसार नई बिल्डिंग के लगभग 60 प्रतिशत ढांचे में मरम्मत की त्वरित आवश्यकता है। अदालत ने इन सभी तथ्यों को उद्धृत करते हुए कहा था कि आरएसआरडीसी और पीडब्ल्यूडी के अफसर जल्द से जल्द मरम्मत और सुधार के कार्य पूरे करें, ताकि लोगों की जान पर खतरा न बना रहे। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव, वित्त विभाग के मुख्य सचिव और पीडब्ल्यूडी की अतिरिक्त मुख्य सचिव को मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई करने के आदेश भी दिये।

इसके अलावा अदालत ने पुलिस विभाग से जुडे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) के पुलिस महानिदेशक आनंद श्रीवास्तव को मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिये थे। अदालत ने आगे कहा था कि प्रदेश में कोई भी अदालत इस मामले की जांच अवरूद्ध कर किसी व्यक्ति विशेष या अफसर को आपराधिक दायित्व से सुरक्षित नहीं कर सकती है। अदालत ने आदेश दिये थे कि केवल हाईकोर्ट की खण्डपीठ या सुप्रीम कोर्ट ही मामले में हस्तक्षेप कर सकते है।

इसी आदेश की पालना में जोधपुर स्थित हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के मुख्य ठेकेदार विरेन्द्र कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव के बाद जुलूस पर रोक

नई दिल्ली, 18 सितंबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (डूसू) के चुनाव के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता

- **दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी छात्र संगठनों व प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया।**

वाली बेंच ने सभी छात्र संगठनों और उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर पूछा है कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।

उच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को प्रचार के अंतिम दिन हुई हिंसा के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि लोकतंत्र को आपराधिक समाज के रुप में तब्दील नहीं किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली विश्वविद्यालय से सख्त

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)